राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0)

कार्यक्रम का विवरण

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक केन्द्र एवं राज्य द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा था।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को निम्नलिखित घटकों–आच्छादन, गुणता प्रभावित, सस्टेनेबिलिटी, अनुरक्षण, इयर मार्क्ड वॉटर क्वालिटी, सपोर्ट एक्टिविटी एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण में विभक्त किया गया है। उपरोक्त इंगित मदों हेतु मात्राकरण तथा वित्त पोषण निम्नानुसार किया जाता हैः–

क0सं0	घटक	मात्राकरण प्रतिशत में	फन्डिंग पैटर्न	
			केन्द्रांश	राज्यांश
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–आच्छादन	47%	50%	50%
2	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–गुणता प्रभावित	20%	50%	50%
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–सस्टनेबिलिटी	10%	60%	40%
4	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–संचालन एवं अनुरक्षण	15%	50%	50%
5	सपोर्ट एक्टिविटी	5%	60%	40%
6	जल गुणवत्ता अनुश्रवण	3%	60%	40%
7	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–इयर मार्क्ड वॉटर क्वालिटी	5%	50%	50%

उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं के सेन्टेज हेतु व्यवस्था राज्यांश के अंतर्गत की जाती है।

राज्य द्वारा पोषित योजनाओं का समावेश उक्तानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में किया जा चुका है तथा आवश्यक राज्यांश की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा पूर्व संचालित योजनाओं के माध्यम से की जा रही है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मं गठित, राज्य योजना स्वीकृति समिति में निहित है। इस कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण, ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को पीने, भोजन बनाने एवं घरेलू मूलभूत आवश्यकताओं हेतु शुद्ध पेयजल निरन्तरता के आधार पर उपलब्ध कराना है। राजीव गांधी मिशन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश में वर्णित प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैंः–

- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- पेयजल प्रणाली तथा स्रोत सस्टनेबिलिटी सुनिश्चित करके आपूर्ति एवं उपभोग, दोनों बिन्दुओं पर, निर्धारित मानकों के अनुरूप इसके संपूर्ण योजना अवधि में प्रणाली द्वारा सेवाओं की आपूर्ति।
- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढांचा विकसित कर पेयजल की गुणता संरक्षित करना।

पेयजल आपूर्ति की स्थितिः–

प्रदेश में कुल 97942 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.53 करोड़ है। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 2,60,110 है। सर्वेक्षण में इसमें से 2,33,341 बस्तियां पूर्णतः आच्छादित हैं तथा 79933 अनाच्छादित तथा 18,776 आंशिक आच्छादित चिन्हित हुई थीं। इन समस्त अनाच्छादित तथा आंशिक आच्छादित बस्तियों को मानक के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैंः–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (आच्छादन)

- योजना के अंतर्गत पूर्व से अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की रिबोरिंग एवं पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के कार्य किये जा रहे हैं।
- नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, चन्दौली व मिर्जापुर में वन क्षेत्र में निवास करने वाले पट्टा धारकों हेतु इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प के माध्यम से पेयजल का प्रबन्ध किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं का निर्माण भी कराया जा रहा है।

प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी पेयजल हेतु पूर्णतः हैण्डपम्प पर निर्भर है, परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हैंडपम्प के स्थान पर पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में गुणता प्रभावित पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

प्रदेश में पेयजलापूर्ति हेतु निर्मित 3852 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव भी किया जा रहा है इनमें से 2316 योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव उ0प्र0 जल निगम द्वारा, 134 योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव झांसी/बांदा जल संस्थान द्वारा तथा 1392 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। जल निगम एवं जल संस्थान द्वारा रख–रखाव की जा रही अधिकांश बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनायें 15 से 30 वर्ष पुरानी हैं, जिनके वृहद् मरम्मत/पुनरूद्धार की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त 1703 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (गुणता प्रभावित बस्तियां)

प्रदेश के काफी बड़े क्षेत्र में भूजल में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है। भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण तथा भूजल की गुणवत्ता की समस्याओं के कारण काफी संख्या में हैण्डपम्प या तो निष्क्रिय हो रहे हैं अथवा इनसे मिलने वाला पेयजल पीने योग्य नहीं रह गया है।

वर्ष 2004 के सर्वेक्षण में चिन्हित गुणवत्ता से प्रभावित कुल 8661 बस्तियां (1219 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों सहित) में से 7764 बस्तियों को लाभान्वित कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 में पूर्व में चिन्हित बस्तियों में से शेष 460 बस्तियों के लक्ष्य के सापेक्ष 80 बस्तियों को लाभान्वित कर दिया गया है। शेष बस्तियों में कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

प्रदेश में गुणता प्रभावित बस्तियों की स्थिति की जानकारी पूर्व में कराये गये सैम्पिल सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है किन्तु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी तथा समय–समय पर कराये जा रहे परीक्षणों के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी गुणता की समस्या सामने आ रही है। वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु प्रदेश में पेयजल स्रोतों का वृहद् स्तर पर गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं

जी0पी0एस0 मैपिंग कराया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर नयी गुणता प्रभावित बस्तियॉ चिन्हित की जा सकेंगी।

ए0ई0एस0/जे0ई0 से प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्थाः–

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 20 जनपद ए0ई0एस0/जे0ई0 की बीमारी से प्रभावित हैं। सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु ए0ई0एस0/जे0ई0 से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों की प्रत्येक ऐसी बस्ती में जिसमें पिछले 03 वर्षों में कोई मरीज चिन्हित हुआ हो, एक मिनी पाइप पेयजल योजना तथा एक इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन किया जाना था, जिसके सापेक्ष सर्वाधिक प्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों के 07 जनपदों की 2734 बस्तियों में 18295 इण्डिया मार्क– प्प हैण्डपम्पों के अधि ठापन तथा 2734 मिनी पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाना है जिसके सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक समस्त 18295 इण्डिया मार्क– प्प हैण्डपम्पों का अधि ठापन तथा कुल 2319 मिनी पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 300 मिनी पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन को छोड़कर समस्त कार्य पूर्ण है तथा अन्य 108 मिनी पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। शे ा 7 मिनी पेयजल योजनाओं पर स्थल विवाद के कारण कार्य अवरूद्ध है जिनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग उ0 प्र0 द्वारा अन्य 13 जनपदों में भी 555 ए0ई0एस0/ जे0ई0 से प्रभावित बस्तियां चिन्हित की गयी है। इन बस्तियों में भी तात्कालिक राहत हेतु रू0 184.24 करोड़ की कार्य योजना भारत सरकार को प्रेि ात की जा चुकी है। तात्कालिक राहत हेतु कार्यो के अतिरिक्त ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित बस्तियों में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु रू0 296.25 करोड़ की लागत से पाइप पेयजल योजनाओं के कि यान्वन हेतु भी प्रस्ताव किया जा रहा है। उक्तानुसार कुल रू0 480.49 करोड़ की कार्य योजना रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के इयर मार्क वाटर क्वालिटी घटक के अन्तर्गत भारत सरकार के विचारार्थ प्रेि ात की जा चुकी है, जिस पर व र्ा 2015–16 में स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सस्टेनेबिलिटी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेयजल के श्रोत एवं सिस्टम को सस्टेनेबुल करना है जिससे पेयजल व्यवस्था में शुद्ध एवं निरन्तर पेयजल की उपलब्धि भविष्य में सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चेक डैम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्लान्ट तथा सोकपिट के निर्माण से भूजल रिचाज्र के कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में 179 विकास खण्ड भूजल स्तर में गिरावट की दृष्टि से अतिदोहित/क्रिटिकल के रूप में चिन्हित हैं। गुणता प्रभावित बस्तियों तथा सामान्य बस्तियों में प्रस्तावित पेयजल योजनाओं को स्रोत स्थायित्व के कार्यों के संयोजन से कि यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। भू–जल, सतही जल एवं वर्षा जल के युक्तिसंगत उपयोग से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि योजना के कि यान्वयन के उपरांत आच्छादित बस्तियां पुनः स्लिप बैक न होने पाये। स्रोत स्थायित्व हेतु वर्ष 2014–15 में 503 चेक डैम निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष, 339 में कार्य प्रारम्भ एवं 164 चेक डैम पूर्ण किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अनुरक्षण)

झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल सम्पूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व संबंधित जल संस्थानों का है। झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल

के जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–3426/9–2(3)–79 दिनांक 01 अगस्त, 1989 एवं 2894/9–2–87–57(93)/87 दिनांक 16 मार्च, 1988 द्वारा जल संस्थान के अधिकार एवं दायित्व जल निगम को सौंपे गये हैं तद्नुसार प्रदेश के अन्य मण्डलों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के दायित्व को उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वहन किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या 992/38–5–2002 दिनांक 26.03.2002 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के अनुरक्षण का कार्य दिनांक 01.04.2002 से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या 111/अड़तीस–5–2015–36 सम/2013 दिनांक 09.02.2015 के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पाइप पेयजल योजना की संचालन एवं अनुरक्षण नीति जारी कर दी गयी है। प्रदेश में पेयजलापूर्ति हेतु निर्मित 3832 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव भी किया जा रहा है इनमें से 2316 योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव उ0प्र0 जल निगम द्वारा, 134 योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव झांसी/बांदा जल संस्थान द्वारा तथा 1392 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। जल निगम एवं जल संस्थान द्वारा रख–रखाव की जा रही अधिकांश बहुल ग्राम की जा रही अधिकांश बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनायें 15 से 30 वर्ष पुरानी हैं, जिनके वृहद् मरम्मत/पुनरूद्धार की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त 1703 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2015–16 में कुल 400 पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 279 योजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं। शेष माह मार्च, 2015 तक पूर्ण कर ली जायेंगी।

जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सतर्कता कार्यक्रमः–

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैंः–

1. जल की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं निगरानी का विकेन्द्रीकरण करके प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त पेयजल स्रोतों का समुदाय के माध्यम से अनुरश्रवण एवं निगरानी का कार्यः–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय को पेयजल की गुणवत्ता, पेयजल स्रोतों का सुचारू रखरखाव एवं जल जनित रोगों के बारे में जानकारी देकर पेयजल के उपयोग एवं उनके रखरखाव के संबंध में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु जन–जागरूकता के कार्य किये जा रहे हैं। चूंकि ग्राम स्तर पर पेयजल स्रोतों का परीक्षण ग्राम वासियों के द्वारा ही किया जाना है, अतः मानव संसाधन विकास हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण तथा ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने हेतु कार्यशालाओं एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों के रासायनिक एवं जैविक परीक्षण के लिये ग्राम पंचायत, जनपद एवं राज्य स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत फील्ड किट के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों (समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत पेयजल स्रोतों) की शत प्रतिशत फील्ड स्तरीय परीक्षण का कार्य पंचायत स्तर पर चिन्हित पंचायत कर्मियों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर जल की गुणवत्ता की जांच के लिये एक फील्ड टेस्ट किट व एच0टू0एस0 की शीशियां उ0प्र0 जल निगम द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी हैं। जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में ग्राम स्तरीय परीक्षण के परिणामों के पुष्टिकरण हेतु परीक्षण कार्य किये जा रहे हैं।

2. राज्य एवं जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालनः–

पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 75 में से 72 जनपदों में जनपदीय जल विश्लेषण प्रयोगशालायें स्थापित हैं, किन्तु अधिकांश प्रयोगशालायें अस्थाई भवनों में संचालित हैं, जिनमें समुचित स्थान उपलब्ध नहीं है। सुचारू जल विश्लेषण हेतु इन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु राज्य एवं जनपद स्तरीय जल–विश्लेषण प्रयोगशालाओं के उन्नयन/सुदृढीकरण हेतु समुचित स्थान वाले भवन तथा आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्य किया जा रहा हैः–

राज्य स्तरीय प्रयोगशालाः

प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करके संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने हेतु उ0प्र0 जल निगम की लखनऊ स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला का उच्चीकरण किया जा रहा है। राज्य के पेयजल प्रदूषण प्रभावित जनपदों/सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण व अनुश्रवण हेतु 20 डिजिटल फील्ड वाटर टेस्टिंग किट एवं 10 मोबाइल प्रयोगशालाएं उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने का कार्य प्रगति पर है।

नई जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्यः–

विगत वर्षों में प्रदेश के पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जनपद स्तर पर 72 जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं। नवसृजित जनपदों संभल, शामली एवं हापुड़ में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। प्रदेश की समस्त जनपदीय प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति के आंकलन हेतु आई0आई0टी0 कानपुर से अध्ययन कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर जनपदीय प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है।

5. सपोर्ट एक्टिविटीः– इस मद से पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं अन्य तकनीकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

- **सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC)-** सूचना शिक्षा एवं संचार के अन्तर्गत हितभागियों के बीच स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल के उपयोग एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना है। इसके लिए सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के बारे में ग्रामीण समुदायों को तैयार, सम्मिलित एवं सशक्त कर ज्ञान बढाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, गैर पारंपरिक मीडिया, आउटडोर नीति, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, नारे, एस.एम.एस. सन्देश, सूचना परक पुस्तिका, पर्चे, दृश्य–श्रव्य सी.डी., वृत्त चित्र, आदि के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को जागरूक किया जाता है।
- जे0ई0/ए0ई0एस0 बीमारी के कारण व बचाव सम्बन्धित रेडियो स्पॉट्स का प्रसारण।
- जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित जनपदों के मुख्यालयों पर बीमारी से बचाव सम्बन्धी होर्डिंग्स का अधिष्ठापन।
- ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित 20 जनपदों कुल 20 जनपदों के 282 विकास खण्डों सहित 18664 ग्राम पंचायतों में सघन जन–जागरूकता अभियान (आई0ई0सी0) के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की आई0ई0सी0 गतिविधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार, जिसमें कठपुतली प्रदर्शन, उपस्थित बच्चों के बीच पोस्टर/स्लोगन प्रतियोगिता, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय ग्राम प्रधान सम्मेलन, प्रत्येक ब्लॉक में महिला पंचायत का आयोजन
- जनपद बांदा में सिमौनी बाबा मेले, जनपद गोण्डा में पसका मेला तथा गोण्डा महोत्सव एवं जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल मेले में व्यापक प्रचार–प्रसार।
- प्रिन्ट मीडिया एव सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रचार–प्रसार।

- दिनांक 22.09.2014 से 27/28.09.2014 तक पेयजल गुणवत्ता की समस्या, उसके दुष्प्रभाव एवं बचाव संबंधी जागरूकता अभियान का आयोजन।
- WASH Institute, Kerla, के सहयोग से 30 जिला स्तरीय सलाहकारों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 31 मार्च से 02 अप्रैल, 2015 के मध्य लखनऊ के होटल ''कम्फर्ट इन'' में सम्पन्न किया गया।
- उ0प्र0 में सूचीबद्ध स्वंयसेवी संस्थाओ द्वारा प्रदेश में प्रथम चरण के 12 जनपदों की 158 विकास खण्डो सहित 10,389 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की 08 आई0ई0सी0 गतिविधियों का संचालन सम्पन्न किया गया। इसी क्रम में जनपद –प्रतापगढ़, सोनभद्र एवं गाजीपुर में आई0ई0सी0 गतिविधियां संचालित की जा रही है।
- दिनांक 16 से 22 मार्च, 2015 के मध्य पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में पेयजल एवं स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस क्रम में समस्त जनपदों में एक दिवसीय कार्यशाला, ,समस्त जनपदों से पांच संवेदनशील ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक, पेयजल श्रोत्रों की जांच तथा स्वच्छता सर्वेक्षण एवं वी0डब्लू0एस0सी0 की बैठक सम्पन्न की गईं।
- जनपद वाराणसी में दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को यू0पी0 कालेज में ''जल संरक्षण जागरूकता कार्यशाला'' का आयोजन एवं आई0ई0सी0 सामग्रियों का भी वितरण।
- वर्ष 2014–15 में एस0आई0आर0डी0 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गठित ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के कुल सदस्यों 1,20,184.00 सदस्यो को दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न।
- प्रदेश में कुल 375 हैण्डपम्प मैकेनिक का जनपद झॉसी, बांदा, ललितपुर में प्रशिक्षण सम्पन्न एवं इस क्रम में जनपद झॉसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा व चित्रकूट में प्रशिक्षण संचालित।
- जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु समस्त कार्य।
- एम0आई0एस0 के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सपोर्ट।
- आवश्यकतानुसार कार्यक्रम के नियोजन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु Customized Software का विकास।
- ग्राम स्तरीय जी0आई0एस0 आधारित मानचित्रों के विकास हेतु सहायता।
- पेयजल से सम्बन्धित रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट।
- बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यक्रम एवं परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- **एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली** (IMIS): ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के भौतिक एवं वित्तीय अनुश्रवण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित की गई है। सहयोग मद में एम0आई0एस0 के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग इत्यादि का क्रय तथा उच्चीकरण करके इस प्रणाली को प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर विकसित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत रसायनिक प्रयोगशालाओं में भी कम्प्यूटर प्रणाली उपलब्ध करायी जायेगी ताकि जल गुणवत्ता से सम्बन्धित आंकड़ों की प्रविष्टि प्रयोगशाला स्तर से भी आई0एस0आई0एस0 में जा सके।

कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत प्रदेश में एक शिकायत समाधान प्रणाली (Grievance Redressal System) की स्थापना की गई है, जिसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं उपयोग सुनिश्चित कराया जायेगा।

जी0पी0एस0/जी0आई0एस0 मैपिंगः

- **लखनऊ ज़ोन** के अन्तर्गत समस्त 15 जनपदों में कार्य पूर्ण, जिसके अन्तर्गत लखनऊ ज़ोन के 5,21,917 पेयजल स्रोतों के सापेक्ष 6,85,174 पेयजल स्रोतों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण/परीक्षण का कार्य सम्पन्न।
    - संदूषित पाये गये 19,054 पेयजल स्रोतों के नमूने जनपद प्रयोगशाला में एवं 01% नमूनों के अन्तर्गत 7,089 नमूने एकत्रित कर उ0प्र0 जल निगम मुख्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
- **गोरखपुर ज़ोन** के अन्तर्गत समस्त 10 जनपदों में कार्य पूर्ण, जिसके अन्तर्गत गोरखपुर ज़ोन के 3,57,967 पेयजल स्रोतों के सापेक्ष 4,30,541 पेयजल स्रोतों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण/परीक्षण का कार्य सम्पन्न।
    - संदूषित पाये गये 7,268 पेयजल स्रोतों के नमूने जनपद प्रयोगशाला में तथा 01% नमूनों के अन्तर्गत 3,580 नमूने एकत्रित कर उ0प्र0 जल निगम मुख्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
- **इलाहाबाद जोन** के अन्तर्गत 11 जनपदों में कुल 4,00,796 सार्वजनिक पेयजल स्रोतों के सर्वेक्षण का कार्य संस्था द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा जनपद सोनभद्र के 08 विकास खण्डों में 20,805 पेयजल स्रोतों सहित समस्त क्षेत्रीय कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद इलाहाबाद, गाजीपुर एवं संत रविदास नगर में कार्य प्रगति पर है।
- **झांसी जोन** के अन्तर्गत 13 जनपदों में कुल 3,17,579 सार्वजनिक पेयजल स्रोतों के सर्वेक्षण का कार्य संस्था द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा जनपद चित्रकूट के 05 विकास खण्डों में 20,805 पेयजल स्रोतों, जनपद झांसी के 08 विकास खण्डों में 17,564 पेयजल स्रोतों तथा जनपद कानपुर देहात के 10 विकास खण्डों में 34,804 पेयजल स्रोतों सहित समस्त क्षेत्रीय कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद कानपुर नगर, ललितपुर एवं बांदा में कार्य प्रगति पर है।
- **गाजियाबाद जोन** के अन्तर्गत 16 जनपदों में कुल 3,06,044 सार्वजनिक पेयजल स्रोतों के सर्वेक्षण का कार्य संस्था द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा जनपद गाजियाबाद के 04 विकास खण्डों में 9,461 तथा हापुड़ के 04 विकास खण्डों में 9,908 पेयजल स्रोतों सहित समस्त क्षेत्रीय कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **मुरादाबाद जोन** के अन्तर्गत 12 जनपदों में कुल 2,69,012 सार्वजनिक पेयजल स्रोतों के सर्वेक्षण का कार्य संस्था द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा जनपद पीलीभीत तथा शाहजहाँपुर में कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय प्रगति :– ग्यारहवीं/बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

(रु0 लाख में)

वर्ष	उपलब्ध धनराशि				व्यय
	01 अप्रैल को अवशेष धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
2010–11	18970.00	84868.00	64168.00	168006.00	157730.00
2011–12	10276.00	80232.00	85327.00	175835.00	150946.00
2012–13	24889.00	98201.00	87981.13	195600.00	118449.00
2013–14	101100.00	79493.27	68297.12	248890.39	160580.00
2014–15	93950.14	98906.68	100045.69	292902.51	222063.06
2015–16	71604.32	32738.67	51970.89	156313.88	103013.03